RR for the post of 0 ms.

रिजस्त्रो संव ची० (की०)---7 र

REGISTERED No. D.(D)-73

Missing No.30

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY 100

सं० 27] No. 27] नई दिल्ली, रानिवार, जुलाई ४, 1981/प्राचाद, 13, 1903

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 4, 1981/ASHADHA 13, 1903

इस भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II —खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) PART II —Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों झौर (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय घ्रधिकारियों द्वारा विधि के मन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम मादि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, स्थाय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधि कार्य विभाग)

नई विल्ली, 9 जून 1981

साँ काँ निव 611:--राष्ट्रपति, संविधान के ध्रनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवत्त प्रितियों का प्रयोग करते हुए, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, विधि कार्य विभाग धौर विधारी विभाग (समूह व पव) भर्ती नियम, 975 का भीर संशोधन करने के लिए निम्नलिखिल नियम बनाते है, स्रथि:--

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंद्रालय, बिश्रि कार्य विभाग और विधायी विधाग (ममूह घपव), अर्नी (संशोधन) नियम, 1986 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की नागेख को प्रवृत्त होंगें। विधि न्याय और कपनी कार्य मंत्रालय विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग (समूह प्र पत) भर्ती नियम, 1975 में नियम तक के स्थान पर निम्निस्तित नियम रखा जाएगा, अथिति:—

"। क जपरासी के रूप में नियुक्त व्यक्तियों को होयगाई के रूप में प्रशिक्षण लेने का वाधित्व: इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी इन नियमों के प्रधीन चपरासी के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति हीमगाई के एप में नीन वर्ष का प्रशिक्षण लेगा:

परन्तु प्रशिक्षण के दौरान किसी व्यक्ति के कार्य कथा उसके द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण स्वर को ध्यान में रखते हुए महासमावेष्टा, होमगावं, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखकड़ करके ऐसी भक्षध को घटा कर वो वर्ष कर मनेगा।"

[फा॰ मं॰-ए-12018(1)/75 प्रशा॰ II (वि॰ का॰)] एच. जी. मंडल, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 9th June, 1981

G.S.R 611.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Department of Legal Affairs and Legislative Department (Group D posts) Recruitment Rules, 1975, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Department of Legal Affairs and Legislative Department (Group D posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1980.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

343 GI/81-1

(1517)

स्वास्थ्य भीर परिवार करुयाण संझालय

नर्ज दिल्ली, 17 जून 1981

सार कार निर्ण 118.—मंपिधान के धनुक्टेद 309 के परन्तुक हारा प्रदत्त प्रवित्यों का प्रयोग करने हुए राष्ट्रपति एनव्हारा बीर सीर खीर विक्सीन प्रयोगणाता, गिरी मदास में कतिगय प्रराजात्त्रिय धनुमिचिवीय धीर धनुमिचिवीय समृत 'ग' के पदी पर गर्गी की पश्चित को यिनियमित करने के लिए निस्तिलिखित नियम चनाते हैं, धर्यात्

-). संक्षिप्त ग्रीर्पक ग्रीर प्रारक्ष्य :): इन नियमों का नाम दी० र्मा० प्री० यैक्मीन प्रयोगणाना गिडी, मद्राम (सम्ह 'ग' पद) भनीं [पियम, 1981 है। 2. ये मरफारी राजपद में प्रकाणित होने की निथि से लागू होते।
- 2. उपायोष्ठन: में नियम इन नियमों के साथ संलान प्रश्नमुत्री के बालम 1 में उल्लिक्ति पदा पर लागू होंगे।
- असंक्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान: पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतनामन यही हुँगे जैसा कि धनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निदिष्ट हैं।
- ा भर्ती की विधि, भायुसीमा, भईताये श्रादि : उक्त पत्नों पर भर्ती को बिधि, भायुसीमा, भईताये तथा धन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त भनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में निविष्ट है।
 - प्रनित्ताः कोई व्यक्तिन
 - (क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करणा/करती है प्रथवा जिवाह की संविधा करता/करती है जिसका कि वित्त सकी पत्नी जीवित हो, प्रथम (ख) जो व्यक्ति एक वित्ति के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करना/करती है प्रथम विवाह को संविधा करना/करती है, सेवा में नियुक्त होने का पान्न मही है/कोगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाद्यान होने गर कि ऐसा निवाह ऐसे व्यक्ति और त्रियाह के दूसरे गताकार पर लात् होने वाली स्थीय की अर्द्रीन अनुहोस है, भीर तेमा करने के प्रत्य शाधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्गन से छुट दे सकती है।

- 6. छूट देने की शक्ति: अहां केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि छूट वेना भावत्यक या उचित है वहां बहु संघ लोक सेवा भागोग के परामर्थ से भीर लिखिन कारणों के भाधार पर भादेण इस्स किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती हैं।
- 7. ष्यावृत्तिः इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय गर आरो किये गये धादेणों के धनुमार धनुसूचिन जानि/धनुमूचिम जनआति तथा विशेष वर्गी के ष्यांक्सियों के निये जिल सारक्षणों धौर धन्य रियायनों की व्यवस्था करना धनेक्षित है, उन पर इन नियमों की किसी बान का प्रधाय मही पहेगा।

	अनुसूची								
पद का नरम	पदां की संस्था	धर्तीकरण	वेतनमान	चयन पव भ्रथवा घषयन पद	म्या केन्द्रीय - स्थित्स (पेंजन) निधमादनी, 1972 के नियम 30 के ग्रंडमेंन जोड़े गये सेवा वर्षी का साम ग्राह्म	मीधे भर्ना किए जान वान व्यक्तियों की धायुमीमा	मोधे भर्ती किए आने बाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित पीक्षक तथा भन्य महैनाएं		
1	2	3	4		li.	7	9		
ा. फार्यालय ग्रहीक्षक	(एक) *!	सत्मान्य देःद्रीय सेवा समूह 'ग' घराज- पत्रित धनुमचित्री	25-750 मुपये	श्चयन	मर्ह्ग	सागृ नहीं होता	सागृ नहीं होना		

सीमें भर्ती किए जाने बाले व्यक्तियों के लिए बिहित झाय भीर सैक्षिक सहसाए प्रोफ़ित की दक्ता मे लागृ होगी या नही	परियोक्षाकी सर्वाध यदिकोई हो	मर्ती की पद्धति/भर्ती सीर्घः होगी या पदोन्नति द्वारा प्रथला प्रति- नियुक्ति/स्थानीतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरी जाने वासी रिन्तः यो की प्रतिस्थलता।	हारा भर्ती की वशा मे श्रेणिया जिनसे प्रोक्षति/प्रति नियुक्ति स्थानतरण किया	यदि विभागीय प्रोप्नति समिति हैं नो उराकी संस्थाना	भर्ती करने मे फिन परिस्थितियो ^{र्} गे संघ लोक सेवा आगागा संपरामणे किया जाएगा
y	10	11	12	13	
स्ताम नहीं होता	को क्यो	गदोश्वनि हारा १ सा न हो सब ने पर प्रतिनियुषित पर स्थानांतरण हारा	हेड कनकं ग्रेड में पाल वर्ष की नियमित सेवा प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण केन्द्रीय सरकार के प्रधीन काम करने वाले कर्मचारी जो समान पदो पर कार्य कर रहे हो प्रथम 425-700 क्ये के वेतनमान में पांच वर्ष की सेवा कर चुके हो भीर प्रशासनिक/लेखा संबंधी कार्य का धनुमव रखते हो (साधारणत्या सीन वर्ष से धीक कर्मों)।	 निदेणक, बी० सी० जी० धैनसीन प्रयोगणाना—श्रष्ट यो उप-महायक निदेण श्री० सी० जी० वैदसीन प्रयोगणाला गिही, महास— अतिनयर महायक निदे- णक, किंग इंस्टीट्यूट, तिसलनाडु सरकार गिडी महास—संवस्य 	क,

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFAKE

New Dolhi, the 17th June, 1981

G.S.R. 619.—In exercise of the powers conferred by the provise to article 309 of the Constitution, the President here oy makes the following rules regulating the method of recruitment to certain non-gazetted Ministrial & non-Ministerial Group 'C' posts in the B.C.G. Vaccine Laboratory, Golndy, Madrus, namely:—

- Short this and commencement:—(1) These rules may
 be called the B.C.O. Vaccine Laboratory Guiny,
 Madras (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981.
 - (2) They shall come into force on the date of their nublication in the Official Gazette.
- 2. Application :- These rules whall apply to the posts specified in Column I of the Schedule annexure to these rules.
- J. Number of posts, Classification and scale of Pay:— The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the said Schedule.
- 4. Method of Recruitment, age limit and qualifications etc. The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be us specified in columns 5 to 14 of the Schedule

5. Disqualification-No person-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

[तं 12018/4/78-प्रशाय----] [|यो व्यूनव]

पृष्यिमा जीन, धवर सन्तिव

 (b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to any of the said posts;

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax: —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving:—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

S. Name of post No.	No. of Dustr	Classification	Scale of pay	Selection	Whether benefit of added years admissible under rule 30 of the CCS (Pension) rules 1972)	Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Office Superintendent	*] (onc)	General Central Service Group 'C' Non- guzetted		Non- Selection	No .	Not applicable	Not a pplicable

Whether use and period of functional quality probation by direct rectt. On by depotations prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. Method of rectt whether by direct rectt. On by depotation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.		In case of rectt, by promotion deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a D.P.C. exists what is its composition.	Circumstances in which U.P. S.C. is to be consulted in making recruitment.	
y	10	11	12	- 13	14
1. Not Applicable	Two years	By promotion failing which by transfer on deputation	years regular service in the grade.	1. Director, B.C.G. Vaccine Laboratory —Chirman 2. Two Deputy Assistant Directors B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Madras —Members. 3. Assistant Director (Senior) King Institute Guindy, Madras —Member.	,

narily not exceeding 3 years).

[No. 12018/4/78-Admo. H/PH] PURNIMA JAIN, Undor Secy -